



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082022-238395
CG-DL-E-26082022-238395

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3837]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 25, 2022/भाद्र 3, 1944

No. 3837]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2022/BHADRA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

का. आ. 4011(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 3725 तारीख 14.09.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 14.09.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-552 विस्तार के कि.मी. 275+850 से कि.मी. 281+800 तक (मुरैना-अम्बाह-पोरसा-रोड) (अम्बाह-बाईपास-अतिरिक्त) के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने /चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम, की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "फ्री प्रेस" में शुक्रवार 24 दिसंबर, 2021 और "राज एक्सप्रेस" में सोमवार 24 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम, की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम, की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-552 विस्तार के कि.मी. 275+850 से 281+800 कि.मी. तक (मुरैना-अम्बाह-पोरसा-रोड) (अम्बाह-बाईपास-अतिरिक्त) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: मुरैना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अम्बाह				
	गांव का नाम: बड़फरा				
1	791	सरकारी	रास्ता	0.04	शासकीय (७९१)
2	797	निजी	सिंचित	0.135	मेघसिंह पुत्र बदन सिंह जाति सकवर पता अम्बाह भूमि स्वामी भू राजस्व (७९७)
3	959	निजी	सिंचित	0.0012	बच्चाराम, गिरसिंह, संतोषीलाल, सियाराम पुत्रगण छिद्रे समान भाग पता निवासी भूमि स्वामी भू राजस्व (९५९)
4	976	निजी	सिंचित	0.078	त्रिवेणी बेवा बाबू सिंह भाग 1/4, गुड्डीबाई बेवा राजेश सिंह भाग 1/4, सुलतान सिंह, वीरेन्द्र सिंह पुत्रगण बाबू सिंह 1/2 जाति गुठा पता निवासी ग्राम चिरपुरा भूमि स्वामी (९७६)
5	977	निजी	सिंचित	0.344	मु. त्रिवेणी बेवा बाबू सिंह सुल्तान सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्रगण बाबू शकीला, सुशीला, सुनीता पुत्रिया बाबू समान भाग 6/7, गुड्डी बाई बेवा राजेश सिंह भाग 1/7 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम चिरपुरा भूमि स्वामी (९७७)
6	978	निजी	सिंचित	0.051	वीरेन्द्र सिंह, सुल्तान सिंह पुत्रगण बाबू सिंह जाति गुर्जर निवासी चिरपुरा (९७८/१)
7	978	निजी	सिंचित	0.098	बच्चू सिंह, महिपाल सिंह, अभय सिंह, राजवीर सिंह, रानी बेवा सम्भर सिंह

					जाति ठाकुर निवासी चिरपुरा (९७८/२)
8	978	निजी	सिंचित	0.084	हरिसिंह, जन्देल सिंह पुत्रगण गोपाल सिंह जाति गुर्जर निवासी चिरपुरा गरेवे भजन लाल, भूरेलाल, रामदास पटेल पुत्रगण फेरन उमा पत्नी राजेंद्र, महेश शर्मा ब्रजेश शर्मा पुत्रगण किशोरी लाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता चिरपुरा (९७८/३)
9	979	निजी	सिंचित	0.024	शिवदेवी पत्नी रामदत्त जाति ब्राह्मण निवासी कल्लूपुरा ०.३७८ दीनबंदू पिता दौलत राम 1000 वर्ग फिट जाति ब्राह्मण पता रोरियापुरा भूमि स्वामी भू राजस्व (९७९)
			कुल	0.8552	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/05/2017-18/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2022

S. O. 4011(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 3725 dated **14.09.2021** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four - Laning, etc.) Maintenance, management and operation of **NH-552 Extn.** on the stretch of land from Km. 275+850 to 281+800 Km. in **(Morena-Ambah-Porsa-Road) (Ambah-Bypass-Additional)** in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in **“Free Press” 24 December, 2021 Friday;** and **“Raj Express” 27 December, 2021 Monday;** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 275+850 to 281+800 Km. **(Morena-Ambah-Porsa-Road) (Ambah-Bypass-Additional)** of the NH-552 Extn. in the district of **Morena** in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: MORENA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ambah				
	Village: Badfara				
1	791	Government	Sadak	0.04	Government 791
2	797	Private	Irrigated	0.135	Meghsingh S/o Badan Singh Caste Sakwar Address Ambah Land Owner Land Revenue 797
3	959	Private	Irrigated	0.0012	Bachcharam, Girsingh, Santoshi Lal, Siyaram S/o Chhidde Equal Part Address Resident Land Owner Land Revenue 959
4	976	Private	Irrigated	0.078	Triveni Bewa Babu Singh Part 1/4, Guddi Bai Bewa Rajesh Singh Part 1/4, Sultan Singh, Virendra Singh S/o Babu Singh 1/2 Caste Gutha Address Resident Village Cherpura Land Owner 976
5	977	Private	Irrigated	0.344	Mu. Triveni Bewa Babu Singh Sultan Singh Virendra Singh S/o Babu Shakeela, Sushila, Sunita D/o Babu Equal Part 6/7, Guddi Bai Bewa Rajesh Singh Part 1/7 Caste Gurjar Address Resident Village Chirpura Land Owner 977
6	978	Private	Irrigated	0.051	Virendra Singh, Sultan Singh S/o Babu Singh Caste Gurjar Resident Chirpura 978/1
7	978	Private	Irrigated	0.098	Bachchu Singh, Mahipal Singh, Abhay Singh, Rajveer Singh, Rani Bewa Sambhar Singh Caste Thakur Resident Cherpura 978/2
8	978	Private	Irrigated	0.084	Harisingh, Jandel Singh S/o Gopal Singh Caste Gurjar Resident Cherpura, Garebe Bhajan Lal, Bhure Lal, Ramdas Patel S/o Feran Uma W/o Rajendra, Mahesh Sharma, Brajesh Sharma S/o Kishori Lal Sharma Caste Brahman Address Cherpura 978/3
9	979	Private	Irrigated	0.024	Shivdevi W/o Ramdatt Caste Brahman Resident Kallupura 0.378 Deenbandu S/o Daulat Ram 1000 Sq Ft Caste

					Brahman Address Roriyapura Land Owner Land Revenue 979
			TOTAL	0.8552	

[F. No. CE-RO BPL/30010/05/2017-18/3D]

RAJESH GUPTA, Director